प्रेषक,

J.O. Code UP 2126

कृष्ण कुमार सक्षम,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बहराइच।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
बहराइच।

विषयः- **समय पूर्व स्थानान्तरण हेतु प्रत्यावेदन**

महोदय,

ससम्मान सादर निवेदन करना है कि प्रार्थी का स्थानान्तरण वर्ष 2022 में माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 781/Admin (Services)/2022 दिनांकित 03 जुलाई, 2022 द्वारा जनपद एटा से जनपद बहराइच हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अक्षरशः अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.07.2022 को कार्यभार छोड़कर दिनांक 06.07.2022 को जनपद बहराइच में सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच का कार्यभार ग्रहण किया गया तथा पुनः माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 1437/Admin (Services)/2022 दिनांकित 23 अगस्त, 2022 के अनुपालन में दिनांक 25-08-2022 को अपराह्न में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच का पदभार ग्रहण किया गया है। प्रार्थी जनपद बहराइच से अपनी माता जी के इलाज व उपचार हेतु समय पूर्व स्थानान्तरण के बावत निम्न निवेदन करता हैः-

प्रार्थी की विधवा माता श्रीमती हीरा देवी की आयु लगभग 75 वर्ष है और वह हृदय रोग से पीड़ित है। वर्ष 2018 में मेदान्ता हॉस्पिटल गुडगाँव में डॉक्टर बलवीर सिंह हृदय रोग विशेषज्ञ/सर्जन द्वारा इलाज व जाँच के पश्चात दिनांक 17-04-2018 को कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया है। प्रार्थी की माता अन्य बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण उनके हृदय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और उनके त्वरित उपचार की आवश्यकता होती है। उनके दिल की बीमारी के इलाज व लगे कृत्रिम पेसमेकर की जांच हेतु नियत समयान्तराल पर डॉक्टर से परामर्श हेतु मेदान्ता/मैक्स अस्पताल नई दिल्ली जाना होता है। वर्तमान में मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है और मेरी माता जी मेरे परिवार के साथ ही निवास करती हैं।

चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार उन्हें निरन्तर व नियमित उचित देखभाल, चिकित्सीय उपचार व जांच किया जाना आवश्यक है। वर्तमान जनपद बहराइच में हृदय रोग से सम्बन्धित विशेषज्ञ/सर्जन चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, जिससे माता जी का उचित उपचार और इलाज नियमित कराया जा सके। वर्तमान नियुक्ति जनपद बहराइच की दिल्ली से अत्यधिक दूरी लगभग 650 किलोमीटर होने के कारण तथा जनपद बहराइच से दिल्ली तक सीधी परिवहन सेवा/रेल सेवा न होने के कारण प्रार्थी अपनी माता जी के दिल व अन्य बीमारी की नियमित जांच हेतु अपनी माता जी को दिल्ली ले जाने में असमर्थ रहता है। परिणामतः किसी आकस्मिकता की दशा में गम्भीर शारीरिक क्षति का जोखिम सदैव बना रहता है। प्रार्थी उन्हें उनकी बीमारी व अवस्था का उचित इलाज, उपचार व नियमित आवश्यक जांच दिल्ली ले जाकर नहीं करा पा रहा है और अपने दायित्वों के निर्वहन में विवशता महसूस कर रहा है। यदि मेरा स्थानान्तरण **दिल्ली के निकट स्थित समीपवर्ती जनपद** में हो जाता है तब मैं अपनी माताजी के प्रति पुत्र दायित्व का सम्यक निर्वहन कर सकूंगा। उपरोक्त परिस्थितियों में मैं माननीय न्यायालय से अपने स्थानान्तरण को दिल्ली के समीपवर्ती किसी जनपद आदि में करने की सम्मान सविनय करबद्ध प्रार्थना करता हूँ।

अतः माननीय महोदय से सादर ससम्मान निवेदन है कि समयपूर्व स्थानान्तरण के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

प्रार्थी माननीय महोदय व माननीय न्यायालय का सदैव आभारी रहेगा।

ससम्मान प्रेषित।

दिनांकः 18-12-2023

भवदीय

Krishna Kr. 18/12/2023

संलग्नक- माता जी की चिकित्सीय प्रपत्र।

(कृष्ण कुमार सक्षम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बहराइच।
J.O. Code UP 2126

BAHRAICH JUDGESHIP
No. 2307-I-11-22 Date 18-12-2023
Forwarded

I/C District Judge
Bahraich
18-12-2023